न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–317 / 2026
परिवाद–पत्र संख्या–166© / 2025
अंतर्गत धारा–316(2), 318(4), 115(2) 3(5)बीएनएस

01.06.2026 याचिकाकर्ता 1. राजीव लोचन की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि, अंतर्गत धारा–316(2), 318(4), 115(2) 3(5) बीएनएस से संबंधित परिवाद–पत्र संख्या– 166© / 2025, दिनांक–27.03.2025, के नामित अभियुक्त हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, आवेदक की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम या नियमित जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष हैं, इनके द्वारा कथित अपराध नहीं किया गया है। आवेदक को इस कांड में गलत फंसाया गया है, यह केस इनसे पैसा उगाही के लिए इनके विरूद्ध किया गया है। आवेदक के द्वारा कभी–भी पैसा नहीं लिया गया और न ही जमीन–बिक्री के संबंध में कोई बात–चीत हुआ है। आवेदक के द्वारा जमीन से संबंधित कोई–भी कागजात नहीं लिया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी कहना है कि, आवेदक के विरूद्ध परिवादी ने इसी जमीन से संबंधित टाइटल सूट भी दाखिल किया है, जोकि स्वत्व वाद संख्या–56 / 2025 है और यह स्वत्व वाद विद्वान अवर न्यायाधीश–प्रथम, बाढ़ के न्यायालय में लंबित है, इसके अलावा परिवादी की ओर से आवेदक के विरूद्ध द0प्र0स0 की धारा–107 के अंतर्गत भी मामला दर्ज कराया गया है, उसके बाद यह झूठा मुकदमा दायर किया गया है ताकि आवेदक का जमीन हड़पा जा सके। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड के परिवादी–परशुराम सिंह हैं, जिनका कहना है कि, राजीव लोचन से जमीन बेचने के लिए कहा। जिस जमीन की बिक्री की बात कही गई है, उसका मौजा–रैली, थाना नं0–45, खाता नं0–37, खसरा नं0–20, अराजी–एक कट्ठा, दस धूर है, जिसका मूल्य पांच लाख रूपए तय हुआ। परिवादी द्वारा दिनांक–04.04.2024 को तीन लाख रूपए दिया गया और वय–ब्याना का कागज बना। उसके बाद राजीव लोचन द्वारा टाल–मटोल करने लगा। उसने न ही जमीन लिखा और न ही उसके द्वारा पैसा वापस किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इसी जमीन को लेकर परिवादी के द्वारा एक स्वत्व वाद भी किया गया है और द0प्र0स0 की धारा–107 के अंतर्गत अनुमंडल

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–317 / 2026
परिवाद–पत्र संख्या–166 © / 2025
अंतर्गत धारा–316(2), 318(4), 115(2) 3(5)बीएनएस

लगातार

01.06.2026

दंडाधिकारी, बाढ़ के यहां भी एक मुकदमा लाया गया है। मामला जमीन से संबंधित है। इसके लिए पूर्व में स्वत्व वाद दाखिल किया गया है, यह मामला दिवानी प्रकृति का प्रतीत होता है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक अभियुक्त–1. राजीव लोचन को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करते हुए आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवेदक के आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो समान प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शर्तों के अधीन याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़